

Fax No. 01504-224221

Phone No. 01504-222161

कार्यालय नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज०)

E-mail at :- mbbhadra161@gmail.com

क्रमांक :- नपाभा/एफ.8/भूमि/2025-26/5593

दिनांक :- 25/2/2026

कार्यालय आदेश

नगरपालिका भादरा के द्वारा घर 08 बरानी के गुरवा नं० 48 के किला नं. 8/3, 8/4, 11, 12, 13/1, 13/2 कुल फिता 6 कुल रकबा 0.854 हैक्टर भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/अधिसायी अधिकारी द्वारा जरिये ऑफलाईन क्रमांक 7242 दिनांक 06.01.2025 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक 13829 दिनांक 05.01.2025 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। पालिका ले-आउट प्लान कमेटी क्रमांक 5592 दिनांक 25/1/2025 के द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कोलोनाईजर्/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक 13829 दिनांक 05.01.2025 को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर् द्वारा लिखित अप्पडेटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या को आपसीय भूखण्ड सं. 110, 112, 113, 115, 130, 131 इन्फोरमल सैक्टर कुल 07 भूखण्ड का साईज 11525 वर्गफुट पालिका के पास रहन (लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लाट पालिका द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजर्स/खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अप्पडेटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले-आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क-नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, पार्को का विकास, पीपारोपण, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर्/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर करवाये जावेंगे और इस संबंध में पालिका किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
- खातेदार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क यथा प्रिमियम, लीज राशि, ब्राह्म विकास शुल्क, बीएसयूपी एवं अन्य शुल्क निर्धारित समयावधि में जमा करवाने होंगे।
- कोलोनाईजर्/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जायेगी।
- श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक 13829 दिनांक 05.01.2025 को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 110, 112, 113, 115, 130, 131 इन्फोरमल सैक्टर कुल 07 भूखण्ड पालिका के पास रहन रहेंगे। कोलोनाईजर्/खातेदार द्वारा ज्यों-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेंगे, पालिका द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यों के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लाट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में पालिका द्वारा रहनशुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें एवं शर्तों की पालना की जावेगी।
- संबंधित कोलोनाईजर्/खातेदारों पर 100/-रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अप्पडेटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर् द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरुद्ध बैधान आदि करने पर नगरपालिका भादरा द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
- भूमि के स्वामित्व बाबत किसी भी प्रकार का विवाद होने संबंधी समस्त जिम्मेदारी खातेदार/कोलोनाईजर् की होगी।
- रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बैधान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10रु. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जाये।
- कोलोनाईजर्/खातेदार को नियमानुसार RERA में पंजीयन करवाना होगा।

(पवन कुमार चौधरी)
अधिसायी अधिकारी
नगरपालिका भादरा

दिनांक :-

क्रमांक :- नपाभा/भूमि/2025-26/
प्रतिलिपि -

- खातेदार/कोलोनाईजर् प्रोजेक्ट - नीलकण्ठ श्री नवीन कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 38, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)
- कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका भादरा।
- भूमि शाखा, नगरपालिका को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचना प्रेषित है।

(पवन कुमार चौधरी)
अधिसायी अधिकारी
नगरपालिका भादरा

कार्यालय नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

E-mail at :- mbbhadra161@gmail.com

क्रमांक:- 5886

दिनांक :- 09-03-2026

शुद्धिपत्र (संशोधन आदेश)

संदर्भ:- इस कार्यालय का कार्यालय आदेश क्रमांक नपाभा/एफ.8/भूमि/2025-26/5593 दिनांक 25/02/2026 (खातेदार/कॉलोनाइजर प्रोजेक्ट - नीलकण्ठ कॉलोनी, 1. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री जुगल किशोर, उम्र 48 वर्ष, निवासी 235 वार्ड नं. 23, गणेश पुरा बास, भादरा, हनुमानगढ़-335501 (राजस्थान), 2. श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री राष्ट्र कुमार, उम्र 55 वर्ष, निवासी मकान नं. 10, सागर मणी स्कूल के पास, अग्रवाल कॉलोनी, सिरसा-125055 (हरियाणा)।

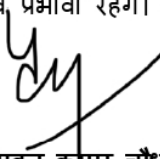
उपर्युक्त विषयान्तर्गत जारी कार्यालय आदेश में भूमि के किला नं./रकबा, 90ए स्वीकृति क्रमांक-दिनांक, श्रीमान् सहायक नगर नियोजक/नगर परिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक-दिनांक एवं लागू टाउनशिप पॉलिसी के वर्ष के उल्लेख में अंकन त्रुटिवश गलत हो गया है, जिसे निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	मूल कार्यालय आदेश में अंकित (त्रुटिपूर्ण)	संशोधित एवं शुद्ध विवरण
1	चक 08 बारानी के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 8/3, 8/4, 11, 12, 13/1, 13/2 कुल किता 6 कुल रकबा 0.854 हैक्टेयर भूमि।	मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 01 (0.253 हैक्टेयर), 2/2 (0.158 हैक्टेयर), 8/5 (0.150 हैक्टेयर), 8/6 (0.008 हैक्टेयर), 09 (0.253 हैक्टेयर), 10 (0.253 हैक्टेयर) एवं मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 5 (0.253 हैक्टेयर), 06 (0.253 हैक्टेयर), कुल किता 8, कुल रकबा 1.580 हैक्टेयर अर्थात् 15800 वर्गमीटर, चक 08 बारानी, भादरा, हनुमानगढ़-335501 (राजस्थान)।
2	श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जरिये ऑफलाइन क्रमांक 9241 दिनांक 06.01.2025 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।	श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जरिये ऑफलाइन क्रमांक 9247 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
3	श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक 13829 दिनांक 05.01.2025 (जहाँ-जहाँ भी उल्लेखित है)।	कार्यालय नगर परिषद हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 5240 दिनांक 15.09.2025 (सर्वत्र प्रतिस्थापित)।
4	स्वीकृत टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य करवाये जाने का उल्लेख (जहाँ-जहाँ भी उल्लेखित है)।	स्वीकृत टाउनशिप पॉलिसी-2024 अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य करवाये जावें (सर्वत्र प्रतिस्थापित)।



क्र.सं.	मूल कार्यालय आदेश में अंकित (त्रुटिपूर्ण)	संशोधित एवं शुद्ध विवरण
5	खातेदार/कॉलोनाईजर का नाम :- श्री नवीन कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल, जाति जाट, निवासी वार्ड नं. 36, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज0)।	खातेदार का नाम :- 1. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री जुगल किशोर, उम्र 48 वर्ष, निवासी 235 वार्ड नं. 23, गणेश पुरा बास, भादरा, हनुमानगढ़-335501 (राजस्थान)। 2. श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री राष्ट्र कुमार, उम्र 55 वर्ष, निवासी मकान नं. 10, सागर मणी स्कूल के पास, अग्रवाल कॉलोनी, सिरसा-125055 (हरियाणा)।

उपरोक्तानुसार शुद्धि के अतिरिक्त मूल कार्यालय आदेश क्रमांक नपाभा/एफ.8/भूमि/2025-26/..... दिनांक _____ में अंकित समस्त शर्तें, बिन्दु संख्या 1 से 8 तथा अन्य समस्त विवरण यथावत् एवं प्रभावी रहेंगे। यह शुद्धिपत्र मूल कार्यालय आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा।


(पवन कुमार चौधरी)
अधिशेषी अधिकारी
नगरपालिका भादरा

क्रमांक :- 5887-5889

दिनांक 09-03-2026

प्रतिलिपि -

- खातेदार/कॉलोनाईजर प्रोजेक्ट - नीलकण्ठ, 1. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री जुगल किशोर, निवासी 235 वार्ड नं. 23, गणेश पुरा बास, भादरा, हनुमानगढ़-335501 (राजस्थान), 2. श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री राष्ट्र कुमार, निवासी मकान नं. 10, सागर मणी स्कूल के पास, अग्रवाल कॉलोनी, सिरसा-125055 (हरियाणा)।
- कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका भादरा।
- भूमि शाखा, नगरपालिका को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।


(पवन कुमार चौधरी)
अधिशेषी अधिकारी
नगरपालिका भादरा

कार्यालय नगर परिषद हनुमानगढ़

क्रमांक:-न.प.ह./न.नि.शा./2025-26/ 5240

दिनांक:- 15-9-2025

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, भादरा

विषय:- चक 08 बारानी मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 01 में 0.253 है०, 02 में 0.158 है०, 08/5 में 0.150 है०, 08/6 में 0.008 है०, 09 में 0.253 है०, 10 में 0.253 है० एवं मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 05 में 0.253 है०, 06 में 0.253 है० कुल किता 08 कुल रकबा 1.580 है० भूमि के कृषि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति के सम्बन्ध में तकनीकी राय बाबत।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक नपाभा/ भूमि/2025-26/2321 दिनांक 29.08.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदक श्रीमती रजनी पत्नी श्री नवीन कुमार व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जुगल किशोर की भूमि वाके चक 08 बारानी मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 01 में 0.253 है०, 02 में 0.158 है०, 08/5 में 0.150 है०, 08/6 में 0.008 है०, 09 में 0.253 है०, 10 में 0.253 है० एवं मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 05 में 0.253 है०, 06 में 0.253 है० कुल किता 08 कुल रकबा 1.580 है० भूमि के कृषि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति के सम्बन्ध में तकनीकी राय बाबत प्रकरण प्राप्त हुआ है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। संदर्भित पत्रानुसार आवेदित भूमि की राजस्व ग्राम की आबादी से दूरी 480 मीटर है एवं आवेदित भूमि को पहुचमार्ग अन्य आवासीय योजना की आंतरिक 40' चौड़ी सड़क से प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही पूर्व दिशा में विद्यमान 8'6" चौड़े सरकारी रास्ते जिसपर पालिका द्वारा तैयार करवाए जा रहे रोड नेटवर्क प्लान अनुसार 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित है भी आवेदित योजना क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः 60' चौड़ी सड़क के मार्गधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सड़क मध्य से 30' चौड़ी भूमि के अंतर्गत आने वाली आवेदक की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जाना प्रस्तावित है। योजना क्षेत्र के उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 150' चौड़ी प्रस्तावित श्रेणी की सड़क दर्शित है।

प्रकरण के प्राप्त योजना मानचित्र में रूपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 170115.00 वर्गफुट है जिसमें आवश्यक संशोधन उपरांत आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 92737.50 वर्गफुट यानि 8615.60 वर्गमीटर (54.51 प्रतिशत), इनफार्मल सेक्टर 2000.00 वर्गफुट यानि 185.81 वर्गमीटर (1.18 प्रतिशत), सुविधा क्षेत्रफल 6825.00 वर्गफुट यानि 634.06 वर्गमीटर (04.01 प्रतिशत), पार्क व पाथ 11987.50 वर्गफुट यानि 1113.68 वर्गमीटर (07.05 प्रतिशत), पब्लिक यूटिलिटी क्षेत्रफल 6825.00 वर्गफुट यानि 634.06 वर्गमीटर (04.01 प्रतिशत), सड़क 49740.00 वर्गफुट यानि 4621.00 वर्गमीटर (29.24 प्रतिशत) प्राप्त हो रहा है। मास्टर प्लान, गूगल इमेजरी, टोटल स्टेशन सर्वे एवं योजना मानचित्र अधिशायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं।

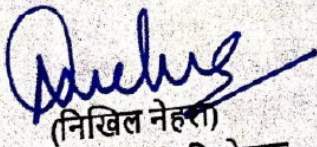
प्रस्तुत संलग्न मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "एच" के अंतर्गत कुल 170115.00 वर्गफुट रूपान्तरण योग्य भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र मय संशोधन को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंखा की जाती है :-

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2024, विभागीय अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 एवं विभागीय आदेश दिनांक 27.03.2025 के अन्तर्गत किया गया है। प्रकरण में टाऊनशीप पॉलिसी 2024 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

कार्यालय नगर परिषद हनुमानगढ़

2. राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 3.5.2(iv) अनुसार सुनिश्चितता किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदित भूमि में से मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क के मार्गाधिकार में आने वाली आवश्यक भूमि निकाय को निःशुल्क समर्पित करवाई जानी होगी। सड़को के अलाईन्मेंट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है। प्रश्रुत योजना के आस-पास अनुमोदित योजनाओं की स्वीकृत सड़कों का प्रश्रुत योजना में यथा संभव मिलान किया जाना निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
3. भवन विनियम-2025 के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना की सुनिश्चित करने हेतु आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
4. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
5. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन राजस्थान टाऊनशीप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
6. राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 3.5.1(xx) अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर निर्धारित स्थल में स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदित स्थल में यदि कोई विद्युत लाईन स्थित हैं तो उसे अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा उक्त विधुत लाईन की क्षमता अनुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा प्रभावी भवन विनियम के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
8. आवेदित योजना क्षेत्र के मध्य यदि कोई सिंचित खाला गुजर रहा हो तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
9. प्रश्रुत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है।
10. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद-विवाद व भू-स्वामित्व की जाँच, आवेदित भूमि क्षेत्र प्रतिबंधित भूमि अथवा राजकीय भूमि का भाग प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
11. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावे एवं यदि इस तकनीकी राय अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

भवदीय,


(निखिल नेहरा)

सहायक नगर नियोजक,
नगर परिषद हनुमानगढ़



कार्यालय नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज०)

E-mail at :- mbbhadra.lsg@rajasthan.gov.in



Phone No. 01504-222161

क्रमांक : नपाभा/एफ.8/भूमि/ले.आ.अ.स./2025-26/5592

दिनांक : 25/12/2024

ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

पालिका द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 24/12/2024 को प्रातः 11 बजे अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अध्यक्षता में नगरपालिका कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें जिसमें ले-आउट अनुमोदन से संबंधित निम्न प्रकरण प्राप्त हुए :-

1. श्री नवीन कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 36, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०) के आवासीय भूखण्ड चक 08 बरानी के मुरब्बा नं० 48 के किला नं. 8/3, 8/4, 11, 12, 13/1, 13/2 कुल किता 6 कुल रकबा 0.854 हैक्टेयर की आवासीय योजना "नीलकण्ठ" की तकनीकी स्वीकृति श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 13829 दिनांक 05.01.2025 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उक्त योजना 40 फुट रोड पर स्थित है। जिस कारण ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया।
2. श्रीमती रजनी पत्नी श्री नवीन कुमार व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जुगल किशोर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 36, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०) के आवासीय भूखण्ड चक 08 बरानी के मुरब्बा नं० 48 के किला नं. 01, 02, 08, 5, 08/6, 09, 10 व मुरब्बा नं. 49 किला नं. 05, 06 कुल किता 8 कुल रकबा 1.580 हैक्टेयर की आवासीय योजना "नीलकण्ठ" की तकनीकी स्वीकृति श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 5240 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उक्त योजना 40 फुट रोड पर स्थित है। जिस कारण ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया।
3. श्री दिनेश पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति महाजन, मुरली मनोहर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति महाजन, विजय शंकर पुत्र शिव शंकर जाति ब्राह्मण, शालिनी पत्नी विजय शंकर जाति ब्राह्मण निवासी भादरा के आवासीय भूखण्ड चक 10 बरानी के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 15, 16, 25, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 1, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/2, 20/2 कुल 1.986 हैक्टेयर की आवासीय योजना की तकनीकी स्वीकृति श्रीमान् सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 16274 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उक्त योजना 100 फुट रोड पर स्थित है। जिस कारण ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया।

उक्त एजेन्डे पर विचार-विमर्श उपरान्त उक्त प्रकरण में समिति द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन की स्वीकृति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(पवन कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

एवं सदस्य सचिव,
ले-आउट प्लान
समिति भादरा

(गोविन्द कुमार शर्मा)
कनिष्ठ लेखाकार

एवं सदस्य,
ले-आउट प्लान
समिति भादरा

(निखिल नेहरा)
सहायक नगर नियोजक

एवं सदस्य सचिव
ले-आउट प्लान
समिति भादरा

(चरणजीत मीणा)
कनिष्ठ अभियन्ता

एवं सदस्य
ले-आउट प्लान
समिति भादरा

(हर्ष शर्मा)
विधिक सलाहकार

एवं सदस्य
ले-आउट प्लान
समिति भादरा

